09-12-17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.17 में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त नीलेश अनु०। उसकी ओर से व शेष अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री गिर्राज भटेले।

> अनुपस्थित आरोपी का हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार। फरियादी एवं आहत देवेन्द्र व योगेन्द्र उपस्थित। प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी एवं आहत की ओर से राजीनामा हेतु अनुमित आवेदन पत्र म<u>य</u> लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री गिर्राज भटेले ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना किया है।

अभियुक्तगण पर भादवि० की धारा 294, 323/34 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं साम्ब्रिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अमियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 बी भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अमियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए

योगेडिसिंह

Sicult fria

The formation of the fo

GRPG-138-Forms-23-7178 54,00,000 Forms.

